न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 75 / 2023

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स आर्शीवाद पेलेस
दरगाह क्षेत्र अजमेर
श्री शेख जावेद पुत्र श्री हशीब
निवासी दर्जी मोहल्ला, दरगाह क्षेत्र अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक 11.10.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.2023 को उर्स मेला के तहत घरेलू गेस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल मैसर्स आर्शीवाद पेलेस दरगाह क्षेत्र अजमेर पर पहुँचे दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए ।

दुकान पर घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने की पुष्टि हुई। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया । मौके पर घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर श्री कालू खॉ पुत्र श्री बिट्टू खॉ कार्मिक मेसर्स गुजाब गैस एजेन्सी, वैशाली नगर, स्टीफंस चौराहा अजमेर को बुलवा कर कांटे से वनज करवाने पर सिलेण्डर को सुपुर्द्र किया गया जिसका विवरण निम्नुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	अप्रमाणित					

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा अप्रमाणित सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अप्रार्थी उर्स मेला के दौरान अजमेर आए थे जो मेला समाप्ति पश्चात चले जाने से मूल पते की जानकारी नही होने के कारण प्रकरण में सुनवाई हेतु निवेदन किए जाने पर पेरोकार सरकार को सुना गया ।

जिला कलक्टर
अजमेर

में जारी हुए

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 06.01.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी उक्त अप्रमाणित गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर